

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक: प.6 लेखा/RTIDF/डीएलबी/मिटीग/एनपी/2018-19/9319

दिनांक 22-05-19

-: स्वीकृति आदेश :-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति 13 वीं बैठक दिनांक 07.09.2018 के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 40803 दिनांक 20.09.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 13.4.11 में लिए निर्णय के क्रम में संगरिया (जिला हनुमानगढ़) में आरयूबी निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि रु. 3.29 करोड़ के प्रोजेक्ट की प्रथम किश्त राशि रु 33.00 लाख रुपये (अक्षरे तैतीस लाख मात्र) निम्न बजट मद के अन्तर्गत कार्यकारी निदेशक, रूडसिको के पीडी खाते में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विकलेय मद	(राशि लाख रु. में) जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या - 29	
2217 - शहरी विकास	
80 - सामान्य	
800 - अन्य व्यय	
(08) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	
[01] - स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से	
93 - पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि	33.00
कुल योग	33.00

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन जारी की गई है

- उक्त राशि का उपयोग सिर्फ उस उद्देश्य के लिए कर सकेगी जिस उद्देश्य के लिए राशि स्वीकृत की गई है।
- इस राशि को बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा। राशि का पीडी खाते से आहरण निधियों की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- रूडसिको राशि का व्यय आरटीपीपी एक्ट-2012/रूल्स 2013, संबंधित नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- रूडसिको राशि का उपयोग आरयूबी निर्माण कार्य हेतु समिति के निर्णय में उल्लेखित उद्देश्य हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- रूडसिको आगे राशि रिलीज करवाने से पूर्व उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
- रूडसिको से राशि जारी के से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि RTIDF के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पूर्ण पालना की गई है।
- प्रकरण नियमित प्रक्रिया के तहत अनुदान जारी करने से संबंधित है। अतः आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक 171900308 दिनांक 17.05.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6 लेखा/RTIDF/डीएलबी/मिटीग/एनपी/2018-19/9320-31 दिनांक : 22-05-19
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
03. महालेखाकर (लेखा एवं हक) / लेखा परीक्षा-प्रथम / द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
06. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
07. कार्यकारी निदेशक, रुडसिको, लालकोटी, जयपुर।
08. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रूपये 33.00 लाख (अक्षरे रूपये तैतीस लाख मात्र) कार्यकारी निदेशक, रुडसिको के निजी निक्षेप खाता में राशि हस्तान्तरित करने का श्रम करावें।
09. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
11. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी अंक मिलान शाखा।


(एस. आर. मीणा)
परियोजना निदेशक